

बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन

ओमप्रकाश महर्षि*

प्रस्तावना

मानव परमात्मा का सर्वोत्तम कृति हैं जिसका पृथ्वी पर प्रादुर्भाव बालक के रूप में होता है। ना केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा परमात्मा की इस कृति के लिए जन्म के साथ ही कुछ विशिष्ट अधिकारों को प्रदत्त किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1989 में तैयार किए गए **“बाल अधिकार कन्वेंशन”** में इन विशिष्ट अधिकारों को **‘बच्चों के मौलिक अधिकार’** के रूप में स्वीकार किया गया है जिसको भारत सहित लगभग पूरे विश्व द्वारा मान्यता दी गई है।

बालकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता सर्वप्रथम सन् 1924 को जेनेवा घोषणा में परिलक्षित हुई। 20 नवम्बर, 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे 20 नवम्बर 1989 को पारित किया गया जिसका अनुसमर्थन भारत सहित 151 देशों ने किया।

बालकों के लिए प्रदत्त किए जाने वाले अधिकारों के संबंध में संसार के लगभग सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि स्वस्थ जीवन, शिक्षा, आश्रय, पोषण, मनोरंजन व विकास के अधिकारों सहित उनके कुछ जन्मजात विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक दशा में उन्हें मिलने ही चाहिए।

बाल शिक्षा अधिकार को बालक के विकास का आधार स्तम्भ माना गया है, इसी को बाल अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है।

अध्ययन का महत्व

कई देशों में बाल अधिकार कानून पास कर दिये हैं, फिर भी शैक्षणिक सुअवसर तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक गारन्टी के बावजूद व्यापक स्तर पर लाखों बच्चे अपने इन अधिकारों से वंचित हैं। उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसके मूल में यदि हम लोग देखें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है – कि बाल अधिकारों का हनन अधिकतर व्यस्कों को दृष्टिकोण से होता है। चूंकि दुनिया में बच्चों की संख्या सबसे अधिक भारत में है, इसलिए हमें बाल अधिकारों पर उसकी निर्धारित परिधी से आगे जाकर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के अधिकारों के बारे में किसी भी समझ को विशेष समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता। बल्कि इसमें सभी बच्चे चाहे वे किसी भी समूह के क्यों ना हो शामिल होते हैं।

* पीएच.डी. (छात्र), शिक्षा विभाग, श्री कौशल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।

मानव मन में विभिन्न प्रकार के विचारों का संकलन होता है। मानव-मन, अनेक कल्पनाओं का कल्पवृक्ष है। मानव जीवन में आने वाले अच्छे-बुरे, सही-गलत, नैतिक-अनैतिक, कल्याणकारी-अकल्याणकारी आदि विचार व्यक्ति की मान्यताओं के अनुसार ही होते हैं। ये जीवन की मान्यताएँ ही व्यक्तिगत जीवन के मूल्य हैं। मूल्य ही मानव को अपनी संस्कृति के अनुसार जीवित रहना सिखाते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति समाज या राष्ट्र अपने-अपने मूल्यों या आदर्शों के अनुरूप अपनी जीवन व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में जीवन की उपादेयता, सार्थकता आदि का मापदण्ड मूल्य ही होते हैं। मूल्य जीवन की मान्यताएँ होती हैं तो पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है, प्रत्येक समाज अपने जीवन में कुछ न कुछ नये अनुभव प्राप्त करता है। इन अच्छे अनुभवों के जो लाभकारी व उपादेय होते हैं उन्हें आगे आने वाले समाज (पीढ़ी) को हस्तान्तरित कर देता है। समाज या युग की आवश्यकतानुसार इन उपादेयताओं या मूल्यों में संशोधन एवं परिवर्द्धन होता रहता है। सदैव कल्याणकारी विचार एक लम्बे समयान्तर के पश्चात समाज द्वारा अत्यधिक उपयोगी मान लिये जाते हैं और ये ही 'मूल्य' का रूप धारण कर लेते हैं।

मूल्य एक मानक हैं। मूल्य जीवन की सभी अच्छाइयों को मापन करते हैं। मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, मूल्य मानव प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मूल्यों के प्रारूप सुव्यवस्थित होते हैं। मूल्यों की प्राप्ति में ही जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है।

समस्या कथन

“बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन”

अध्ययन के उद्देश्य

बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमन

- शोधकर्ता द्वारा आंकड़े एकत्रित करने के लिए राजस्थान राज्य के बीकानेर संभाग के अध्यापकों से दत्त संकलन किया गया है।
- शोध कार्य में सरल एवं शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में बीकानेर संभाग के कुल 240 अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है।
- अध्ययन हेतु बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, चूरु एवं बीकानेर जिलों के अध्यापकों का चयन किया गया है।

शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

व्यक्तिगत मूल्य

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु, व्यक्तिगत मूल्य को ज्ञात करने के लिए डॉ. जी.पी. शैरी एवं डॉ. आर.पी.वर्मा द्वारा प्रमाणित मापनी को आधार माना गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M), प्रमाणिक विचलन (SD) एवं प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना की गई है।

समकों का सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

तालिका 1: बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्य मापनी के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना

न्यादर्श का विवरण	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	कांतिक अनुपात (C.R. Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
जागरूक अध्यापक	120	11.78	2.67	1.54	सार्थक अन्तर नहीं है	सार्थक अन्तर नहीं है
अजागरूक अध्यापक	120	10.90	2.85		सार्थक अन्तर नहीं है	सार्थक अन्तर नहीं है

उक्त सारणी में बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्य के प्राप्तांकों के आधार पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों का मध्यमान क्रमशः 11.78 एवं 10.90 दर्शाया गया है तथा मानक विचलन क्रमशः 2.67 तथा 2.85 दर्शाया गया है। इन दोनों समूहों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के आधार पर गणना द्वारा कांतिक अनुपात मान 2.44 प्राप्त हुआ। अर्थात् बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के स्वास्थ्य मूल्य में .01 स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता

शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरन्तर अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज में एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शिक्षा जगत में निरन्तर अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निश्चित रूप से परिभाषित करके उनके निराकरण का मार्ग दिखाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध कार्य में अध्यापकों के बाल अधिकारों के प्रति व्यक्तिगत मूल्यों को जानकर उन्हें इसके प्रति जागरूक करने हेतु अभिप्रेरित करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है। साथ ही अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकेगा। वर्तमान समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को बालकों के अधिकारों को प्रति संवेदनशील व सकारात्मक होने की आवश्यकता है। सम्भवतः इस प्रकार के शोध कार्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे।

शोधकर्ता इस प्रकार की समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने की प्रबल इच्छुक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उर्ध्वगामी विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पहचान कर उनके कारणों एवं तथ्यों की खोज की जाये। शोधकर्ता को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध कार्य से बालकों के प्रति विद्यालय, समाज, घर-परिवार सभी स्तरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास सम्भव होगा।

निष्कर्ष

बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर की जांच करने हेतु मध्यमान निकाला गया, जिसके अनुसार बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व अजागरूक अध्यापकों के मूल्यों में कोई सार्थक अंतर सार्थकता स्तर .01 तथा .05 पर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गयी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2007). *बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास*. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर. पृष्ठ संख्या-459-460
2. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2004). *शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ*. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर.
3. अग्रवाल, उमेशचन्द्र. (2004). *सर्व शिक्षा अभियान वृहद् लक्ष्य कमजोर प्रयास*. नई-दिल्ली: भा.आ.शि., एन.सी.ई.आर.टी., नई-दिल्ली: पृ.सं. 9
4. कपिल, एच के. (1979). *अनुसंधान विधियाँ*. आगरा: द्वितीय संस्करण. हरिप्रसाद भार्गव हाऊस. पृष्ठ संख्या-23
5. कोठारी, सी.आर. (2008). *अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी*. आगरा: न्यूरोज इन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिकेशन कारपोरेशन. पृष्ठ संख्या-2
6. खान, ए.आर. (2005). *जीवन कौशल शिक्षा*. अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. पृष्ठ संख्या-14
7. गुप्त, नत्थूलाल (2000). *मूल्य परक शिक्षा और समाज*. नई दिल्ली: नमन प्रकाशन. पृष्ठ -122
8. गौड, अनिता (2005). *बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे*. नई दिल्ली: राज पाकेट बुक्स. पृष्ठ संख्या-14
9. चतुर्वेदी, त्रिभुवननाथ (2005). *पारिवारिक सुख के लिए है: किशोर मन की समझ*. नई-दिल्ली: श्रीविजय इन्द्र टाइम्स अंक-8, पृष्ठ संख्या-25
10. चौबे, सरयू प्रसाद (2005). *शिक्षा मनोविज्ञान*. मेरठ: इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस. पेज न.184

